भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3044

उत्तर देने की तारीख: 20/03/2023

देश में काफी कम उम्र में स्कूलों में नामांकन/पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु

†3044. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री रवनीत सिंह:
श्री सु.थिरूनवुक्करासर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अधिकांश राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूलों/शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है जिससे उनके मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;
(ग) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्ले स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में बच्चों को काफी कम उम्र में प्रवेश दिया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से पंजाब के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पहली कक्षा में प्रवेश की आयु अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है;
(ङ) क्या नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है;
(च) क्या सरकार ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कोई निर्देश जारी किया है;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/की गई कार्रवाई क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं और उन राज्यों के ब्यौरे क्या हैं जिनके द्वारा इसे अब तक लागू किया है;
(ज) क्या किसी राज्य ने इसके कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(झ) क्या सरकार के पास अपने आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए देशभर के स्कूलों में प्री-केजी/प्री-एलकेजी/नर्सरी कक्षाओं को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ञ) क्या सरकार देश भर के निजी/सहायता प्राप्त स्कूलों सहित सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में विसंगति की अवधारण और स्पष्टता की कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ञ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में कक्षा I से VIII के लिए 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और देश के अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और राज्यों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों को संचालित करने के लिए अपने स्वयं के राज्य शिक्षा अधिनियम/विनियम हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने मानदंडों के अनुसार स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए अलग-अलग आयु मानदंड निर्धारित किए हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु मानदंड में विसंगति के कारण, छात्रों को अंतर-राज्य आवागमन पर स्कूलों में प्रवेश लेने या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता आयु में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की आयु के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियाँ मांगी गई थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया कि 13 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कक्षा I में 5+ उम्र में प्रवेश ले रहे हैं, जबकि 21 राज्य 6+ उम्र में प्रवेश ले रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में 5+3+3+4 के शैक्षणिक ढांचे की परिकल्पना की गई है। पहले 5 वर्षों में 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के अनुरूप प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी/बालवाटिका के 3 वर्ष और 6-8 वर्ष के आयु वर्ग के अनुरूप कक्षा 1 और 2 के 2 वर्ष शामिल हैं। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 में स्पष्ट है कि 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ईसीसीई की 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है।

एनईपी, 2020 और आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के मद्देनजर, इस मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के अ.शा. पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से प्रवेश की आयु को एनईपी, 2020 के साथ संरेखित करने और पूरे देश में प्रवेश की आयु में एकरूपता लाने के लिए 6+ वर्ष की आयु में कक्षा I में प्रवेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, राज्यों को अगले 2-3 वर्षों में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार रोडमैप तैयार करने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के दिनांक 09.02.2023 के अ.शा. पत्र संख्या 22-7/2021-ईई.19/आईएस.13 के माध्यम से एनईपी, 2020 की सिफारिश के अनुसार 6+ वर्ष की आयु में कक्षा I में प्रवेश के लिए आयु मानदंड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फिर से कहा गया था।

******